भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1001

उत्तर देने की तारीख : 05.02.2026

सीजीटीएमएसई घटक के अंतर्गत खाते

1001. श्री बस्तीपति नागराजू :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई) घटक के अंतर्गत योजना के प्रारंभ से अब तक इसके अंतर्गत शामिल किए गए खातों की कुल संख्या का वर्ष वार, राज्यवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार, राज्यवार और श्रेणीवार कितने खातों के लिए गारंटी दी गई है; और

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत पंजीकृत ऋणदाता संस्थाओं की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस) एमएसएमई की प्रमुख स्कीमों में से एक है। इसे कोलेटरल सिक्यूरिटी अथवा तृतीय पक्षकार गारंटियों के बिना सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) द्वारा एमएसई को दिए जाने वाले ऋण के लिए क्रेडिट गारंटियां प्रदान करने हेतु सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के जरिए कार्यान्वित किया जाता है।

सीजीएस की शुरुआत से लेकर अब तक इसके अंतर्गत अनुमोदित गारंटियों का वर्ष-वार, राज्य-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) : सीजीएस के अंतर्गत दी जाने वाली गारंटियों का वर्ष-वार, राज्य-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग) : दिनांक 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार देशभर में सीजीटीएमएसई के अंतर्गत कुल 277 एमएलआई को पंजीकृत किया गया था।

*****

अनुबंध-I

"सीजीटीएमएसई घटक के अंतर्गत खाते" पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1001, जिसका उत्तर दिनांक 05.02.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

सीजीएस – अनुमोदित गारंटियां		
अवधि	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित गारंटियों की राशि करोड़ रुपए में
वित्त वर्ष 2000-01	951	6
वित्त वर्ष 2001-02	2,296	30
वित्त वर्ष 2002-03	5,217	62
वित्त वर्ष 2003-04	6,603	118
वित्त वर्ष 2004-05	9,518	327
वित्त वर्ष 2005-06	16,284	462
वित्त वर्ष 2006-07	27,457	705
वित्त वर्ष 2007-08	30,285	1,056
वित्त वर्ष 2008-09	53,708	2,199
वित्त वर्ष 2009-10	1,51,387	6,875
वित्त वर्ष 2010-11	2,54,000	12,589
वित्त वर्ष 2011-12	2,43,981	13,784
वित्त वर्ष 2012-13	2,88,537	16,062
वित्त वर्ष 2013-14	3,48,475	18,188
वित्त वर्ष 2014-15	4,03,422	21,275
वित्त वर्ष 2015-16	5,13,978	19,949
वित्त वर्ष 2016-17	4,52,127	19,931
वित्त वर्ष 2017-18	2,63,195	19,066
वित्त वर्ष 2018-19	4,35,520	30,169
वित्त वर्ष 2019-20	8,46,650	45,851
वित्त वर्ष 2020-21	8,35,592	36,899
वित्त वर्ष 2021-22	7,17,020	56,172
वित्त वर्ष 2022-23	11,65,786	1,04,781
वित्त वर्ष 2023-24	17,24,073	2,02,807
वित्त वर्ष 2024-25	27,15,275	3,05,507
कुल	**1,15,11,337**	**9,34,871**

"सीजीटीएमएसई घटक के अंतर्गत खाते" पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1001, जिसका उत्तर दिनांक 05.02.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत से वित्त वर्ष 2024-25 तक संचयी			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित राशि (करोड़ रुपए में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5,603	580
2	आंध्र प्रदेश	8,50,875	27,408
3	अरुणाचल प्रदेश	12,645	1,248
4	असम	2,85,825	19,403
5	बिहार	6,13,313	37,809
6	चंडीगढ़	40,865	4,824
7	छत्तीसगढ़	1,68,004	13,568
8	दिल्ली	5,509	1,240
9	गोवा	2,19,934	38,446
10	गुजरात	40,936	3,558
11	हरियाणा	5,34,214	77,627
12	हिमाचल प्रदेश	2,68,276	33,902
13	जम्मू और कश्मीर	1,40,742	10,498
14	झारखंड	3,12,324	11,490
15	कर्नाटक	2,93,379	25,214
16	केरल	8,39,731	72,219
17	लद्दाख	5,12,891	25,517
18	लक्षद्वीप	2,154	262
19	मध्य प्रदेश	583	19
20	महाराष्ट्र	5,68,820	43,773
21	मणिपुर	9,34,425	1,14,182
22	मेघालय	17,564	947
23	मिजोरम	18,365	1,411
24	नागालैंड	10,196	622
25	ओडिशा	17,781	1,138
26	पुडुचेरी	4,26,365	30,448
27	पंजाब	18,052	1,124
28	राजस्थान	3,65,428	32,454
29	सिक्किम	5,07,031	40,495
30	तमिलनाडु	7,414	524
31	तेलंगाना	9,01,684	71,083
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3,05,924	29,827
33	त्रिपुरा	35,453	1,794
34	उत्तर प्रदेश	14,27,444	95,718
35	उत्तराखंड	1,44,527	10,137
36	पश्चिम बंगाल	6,57,061	54,361
कुल		**1,15,11,337**	**9,34,871**

अनुबंध-I

"सीजीटीएमएसई घटक के अंतर्गत खाते" पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1001, जिसका उत्तर दिनांक 05.02.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

सीजीएस – अनुमोदित गारंटियां - श्रेणी-वार			
वर्ष 2000 में इसकी शुरुआत से वित्त वर्ष 2024-25 तक संचयी			
सूक्ष्म		लघु	
अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित गारंटियों की राशि (करोड़ रुपए में)	अनुमोदित गारंटियों की संख्या	अनुमोदित गारंटियों की राशि (करोड़ रुपए में)
79,00,273	4,70,937	36,11,064	4,63,933

अनुबंध-II

"सीजीटीएमएसई घटक के अंतर्गत खाते" पर लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1001, जिसका उत्तर दिनांक 05.02.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

सीजीटीएमएसई – शामिल गारंटी											
		वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2024-25	
क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	दी गई गारंटियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	दी गई गारंटियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	दी गई गारंटियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	दी गई गारंटियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	दी गई गारंटियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5	0.14	19	0.73	26	0.44	79	2.27	47	1.53
2	आंध्र प्रदेश	499	18.09	3,067	49.49	7,459	69.94	7,467	74.49	11,550	136.72
3	अरुणाचल प्रदेश	113	1.60	83	2.26	134	6.05	138	5.67	90	3.36
4	असम	1,342	18.01	1,834	26.65	2,575	42.28	3,142	61.45	3,069	57.29
5	बिहार	1,538	33.93	2,606	49.35	3,949	68.87	5,926	117.09	5,883	115.79
6	चंडीगढ़	59	2.14	172	3.80	223	7.73	180	6.82	241	7.76
7	छत्तीसगढ़	291	4.72	1,061	17.58	1,480	30.55	2,021	41.89	2,291	43.07
8	दिल्ली	479	22.32	1,648	64.81	2,537	93.18	2,366	109.93	3,209	136.30
9	गोवा	65	2.26	120	3.31	245	9.09	114	4.34	151	5.28
10	गुजरात	968	35.76	2,798	69.45	3,460	91.78	4,819	118.85	6,974	165.70
11	हरियाणा	579	20.48	1,672	42.06	2,177	58.54	3,231	78.71	4,859	122.38
12	हिमाचल प्रदेश	324	7.61	372	8.40	482	14.89	1,199	28.29	1,043	30.59
13	जम्मू और कश्मीर	389	4.68	506	5.12	462	8.34	1,028	18.20	875	18.28
14	झारखंड	1,699	45.21	2,249	63.55	2,372	58.02	3,416	82.49	3,700	90.09
15	कर्नाटक	3,247	84.42	5,306	120.32	8,056	180.60	7,696	199.22	8,737	220.79
16	केरल	2,293	31.22	3,553	55.00	6,819	104.19	7,092	112.17	6,601	110.68
17	लद्दाख	4	0.12	0	0.00	1	0.04	5	0.10	9	0.15
18	लक्षद्वीप	1	0.06	0	0.00	0	0.00	1	0.01	0	0.00
19	मध्य प्रदेश	2,121	41.83	4,098	76.29	11,732	147.21	14,019	205.71	12,747	201.55
20	महाराष्ट्र	3,904	98.89	9,129	187.82	9,614	220.59	12,101	324.34	16,135	393.32
21	मणिपुर	279	2.57	96	1.69	178	2.51	488	11.62	378	7.98

22	मेघालय	87	0.82	164	2.05	195	3.31	181	3.14	110	2.22
23	मिजोरम	31	0.42	31	1.31	71	1.86	181	5.00	123	2.95
24	नागालैंड	220	1.58	164	2.19	223	3.65	153	2.51	167	3.00
25	ओडिशा	1,218	21.38	2,429	41.40	2,843	60.24	5,237	97.71	5,994	90.89
26	पुडुचेरी	33	1.30	109	2.24	152	2.41	260	5.68	342	5.69
27	पंजाब	546	21.35	1,618	39.42	1,913	49.84	3,059	58.80	4,795	98.86
28	राजस्थान	550	15.58	2,183	39.40	2,909	54.22	5,769	88.18	9,967	115.36
29	सिक्किम	6	0.05	12	0.09	45	0.78	57	1.21	131	2.81
30	तमिलनाडु	2,159	58.97	6,389	114.45	9,003	173.59	11,134	235.60	11,306	236.11
31	तेलंगाना	1,005	23.34	2,873	58.88	3,381	73.66	3,093	68.70	4,945	93.28
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	11	1.14	31	2.75	48	2.57	42	1.45	50	1.87
33	त्रिपुरा	187	1.55	95	0.98	144	1.82	267	5.45	364	4.64
34	उत्तर प्रदेश	4,297	94.63	7,913	152.78	14,232	247.18	20,465	387.44	20,544	404.34
35	उत्तराखंड	267	5.64	616	12.24	958	14.09	1,527	31.26	1,765	31.89
36	पश्चिम बंगाल	999	32.20	3,214	73.14	4,267	107.96	6,009	163.22	7,686	187.49
	कुल	**31,815**	**756.00**	**68,230**	**1,391.00**	**1,04,365**	**2,012.00**	**1,33,962**	**2,759.00**	**1,56,878**	**3,150.00**

सीजीएस – दी गई गारंटियां – श्रेणी वार				
	सूक्ष्म		लघु	
अवधि	दी गई गारंटियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)	दी गई गारंटियों की संख्या	राशि (करोड़ रुपए में)
वित्त वर्ष 2020-21	16,001	327	15,814	429
वित्त वर्ष 2021-22	41,745	783	26,485	608
वित्त वर्ष 2022-23	81,871	1,346	22,494	666
वित्त वर्ष 2023-24	1,02,785	1,903	31,177	856
वित्त वर्ष 2024-25	1,26,188	2,438	30,690	712